भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 4964
01 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए

मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं

4964. श्री राजकुमार रोत:

क्या मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा गत पांच वर्षों के दौरान आवंटित कुल बजट तथा जारी अनुदान का योजनावार, राज्यवार तथा श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार मछुआरों या मत्स्यपालन समितियों को नाव, जाल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराती है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान उनके द्वारा प्राप्त लाभों का राज्यवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार राजस्थान में स्थित माही और कडाना बांधों में मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए पहले गठित समितियों को मजबूत करने तथा उन्हें नाव, जाल और अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(श्री जॉर्ज कुरियन)

(क) से (ग): मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2020-21 से देश में मात्स्यिकी और जलीय कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक प्रमुख योजना प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) को कार्यान्वित कर रहा है। विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान, मत्स्यपालन विभाग, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने प्रधान मंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत विभिन्न राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों के मात्स्यिकी विकास प्रस्तावों को 8926.28 करोड़ रुपए के केंद्रीय अंश के साथ 20,990.79 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। विगत चार वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अंतर्गत परियोजनाओं, अनुमोदित केंद्रीय निधियों और जारी केंद्रीय निधियों का राज्यवार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) अन्य बातों के साथ-साथ पारंपरिक मछुआरों को बोट्स और नेट्स प्रदान करती है और मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को मात्स्यिकी के विकास और आजीविका सहायता के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान करती है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत पारंपरिक मछुआरों को प्रदान की गई बोट्स और नेट्स का राज्यवार विवरण अनुबंध-II में दिया गया है।

मछुआरों, मत्स्य किसानों और अन्य हितधारकों को प्रदान करने के लिए पीएमएमएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत अन्य प्रमुख सुविधाओं में शामिल हैं; 32051 हेक्टेयर जलकृषि क्षेत्र, मौजूदा 1338 फिशिंग वेसेल्स के उन्नयन के लिए सहायता, समुद्री शैवाल और बाइवाल्व कल्टिवेशन के लिए सहायता, 983 हैचरी, 25 ब्रूड बैंक, 12081 री -सर्क्युलेटरी एक्वाकल्चर सिस्टम (आरएएस), 4205 बायोफ्लोक इकाइयां, 55118 जलाशय केज, 1525 ओपन सी केज, 5711 रेसवे और जलाशयों में 560.70 हेक्टेयर पेन, 634 आइस प्लांट्स/कोल्ड स्टोरेज, 1091 फीड मिल्स/प्लांट्स, 202 रीटेल फिश मार्केट्स, 6694 फिश कियोस्क, फिश ट्रांपोर्टेशन सुविधाओं की 27189 यूनिट्स, 128 वैल्यू ऐडेड योनिट्स और 644 ओरनामेंटल फिशरीस इकाइयां । इसके अलावा, पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत चार वर्षों (2020-21 से 2023-24) और वर्तमान वर्ष (2024-25) के दौरान बेहतर सामाजिक सुरक्षा के लिए, लाभार्थियों से योगदान की अपेक्षा के बिना सालाना औसतन 32.82 लाख मछुआरों को बीमा कवरेज, और सालाना औसतन 5.95 लाख मछुआरों को आजीविका और पोषण सहायता प्रदान की गई है ।

(घ) से (ड़): राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान माही बजाज सागर में स्थित आदिवासी मछुआरों को कुल 93 बोट्स और 1853 किलोग्राम नेट वितरित किए गए हैं। राजस्थान सरकार ने यह भी सूचित किया है कि माही बजाज सागर और कडाना बैंक वॉटर के पास रहने वाले आदिवासी मछुआरों को भी समूह दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान किया जाता है और विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान माही बजाज सागर में औसतन 159 आदिवासी मछुआरों और कडाना बैंक वॉटर में 319 आदिवासी मछुआरों को सालाना बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

*****

अनुबंध-I

मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए माननीय सांसद श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †4964 के उत्तर में उल्लिखित विवरण: पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान स्वीकृत परियोजनाओं और केंद्रीय निधियों और जारी केंद्रीय अनुदानों का राज्यवार विवरण

(रुपए लाख में)

क्र. सं.	**राज्य/केंद्र शासित प्रदेश**	**कुल परियोजना लागत**	**केंद्रीय अंश**	**जारी की गई धनराशि**
(i)	**(ii)**	**(iii)**	**(iv)**	**(v)**
1	अंडमान और निकोबार	5867.10	3122.53	696.70
2	आंध्र प्रदेश	239872.67	55910.38	48211.79
3	अरुणाचल प्रदेश	20028.09	13232.27	9847.62
4	असम	53962.88	29682.11	20731.89
5	बिहार	54712.98	17365.23	7928.31
6	छत्तीसगढ	92338.45	30404.41	20569.40
7	दमन और दीव और दादर और नगर हवेली	13516.89	13243.80	178.90
8	दिल्ली	533.25	286.08	163.30
9	गोवा	11616.49	4849.74	4405.68
10	गुजरात	96068.53	29277.71	6516.70
11	हरियाणा	76086.75	26216.03	10151.73
12	हिमाचल प्रदेश	15388.15	7861.50	3813.69
13	जम्मू और कश्मीर	15019.86	7773.04	7961.80
14	झारखंड	43856.06	14818.28	11570.76
15	कर्नाटक	105634.95	36350.59	35958.72
16	केरल	135811.54	57628.59	31842.33
17	लद्दाख	3374.60	2036.76	1016.99
18	लक्षद्वीप	6763.48	4458.13	1419.12
19	मध्य प्रदेश	89925.00	29449.98	19013.71
20	महाराष्ट्र	144767.36	54426.66	27877.83
21	मणिपुर	20181.70	9584.33	2944.63
22	मेघालय	13262.36	7425.73	3596.21
23	मिजोरम	14785.80	8128.27	6347.38
24	नागालैंड	16368.38	10543.52	6709.46
25	ओडिशा	113867.60	46425.75	25983.27
26	पुदुचेरी	33866.46	22996.05	5713.91
27	पंजाब	16792.95	4514.79	2476.27
28	राजस्थान	7095.14	2372.65	864.12
29	सिक्किम	7827.43	4681.43	3300.05
30	तमिलनाडु	115284.67	44535.55	13631.12
31	तेलंगाना	34117.09	10842.16	9582.93
32	त्रिपुरा	25862.81	14762.41	5859.84
33	उत्तर प्रदेश	129432.10	41230.99	28911.70
34	उत्तराखंड	32297.07	16667.37	8780.37
35	पश्चिम बंगाल	54439.43	22554.70	5075.97
36	अन्य (ट्रांसपोंडर, आदि)	36400.00	21840.00	0.00
कुल क		**1899026.06**	**729533.35**	**399654.16**
35	केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं	200052.82	163095.20	67426.90
कुल क+ख		**2099078.88**	**892628.55**	**467081.07**

****

अनुबंध – II

मत्स्यपालन को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं के संबंध में 1 अप्रैल, 2025 को उत्तर के लिए माननीय सांसद श्री राजकुमार रोत द्वारा पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या †4964 के उत्तर में उल्लिखित विवरण:

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत विगत पांच वर्षों (2020-21 से 2024-25) के दौरान पारंपरिक मछुआरों के लिए स्वीकृत बोट्स और नेट्स का राज्यवार विवरण

क्रम सं	राज्यों के नाम	(संख्या)	परियोजना लागत	भारत सरकार का अंश
1	आंध्र प्रदेश	2191	10955.00	2659.20
2	असम	176	382.05	182.83
3	छत्तीसगढ	20	100.00	24.00
4	गोवा	76	380.00	103.20
5	गुजरात	250	1250.00	330.00
6	हिमाचल प्रदेश	1250	1375.00	627.30
7	जम्मू और कश्मीर	25	125.00	50.00
8	झारखंड	62	125.50	39.65
9	कर्नाटक	390	1790.00	542.88
10	केरल	200	1000.00	240.00
11	लक्षद्वीप	100	500.00	300.00
12	महाराष्ट्र	107	535.00	169.80
13	मणिपुर	10	11.70	5.27
14	नगालैंड	5	5.85	3.16
15	ओडिशा	560	1728.00	523.44
16	पुदुचेरी	215	1075.00	475.00
17	तमिलनाडु	500	2500.00	630.00
18	त्रिपुरा	310	369.80	189.76
19	पश्चिम बंगाल	259	1034.00	355.68
कुल		**6706**	**25241.9**	**7451.168**